शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. X, No. 1, pp (147-152), Jan-March 2019

महिला सशक्तिकरण : दिशा और दशा

डॉ0 ममता रानी

एसो0 प्रोफे0, समाज शास्त्र विभाग,

के0जी0के0 (पी.जी.) कॉलिज, मुरादाबाद

ई–मेल ***dr.mamta27@gmail.com***

सारांश

भारत में स्त्रियों की दशा सदैव एक जैसी नहीं रही अपितु समय एवं काल के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। किसी युग में नारी को सम्मान दिया गया तो कभी उसका अपमान, उत्पीड़न, अत्याचार एवं जुल्म ढाने की सभी हदें पार कर दी गई। महिलायें समाज में अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का शिकार होती रही हैं – कन्या वध, भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जौहर प्रथा, वैश्यावृत्ति, बाल विवाह इत्यादि ।

भारत में आज भी सामाजिक ताना–बाना ऐसा है जिसमें अधिकांश महिलायें पिता या पति पर ही आर्थिक रूप से निर्भर रहती हैं तथा निर्णय लेने के लिए भी परिवार के पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। महिलाओं को न तो घर के मामलों की निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और न ही बाहर के मामलो में । विवाह से पूर्व वे पिता व विवाह के बाद पति के अधीन रहते हुए जीवनयापन करती हैं। हालॉकि देश के संविधान में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39 (बी), 44 तथा अनुच्छेद 325 स्त्री को भी पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह समानता अभी कोसो दूर नजर आती है।

मुख्य शब्द– *महिला सशक्तिकरण, लिंगानुपात, कामकाजी महिलायें।*

प्रस्तावना

सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तताओं से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जागरूकता, अधिकार एवं हकों को जानने सहभागिता निर्णयन जैसे कारकों को लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। यह कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरुषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर ही जागरूकता आयेगी और अधिकारों के प्रति सजगता आयेगी तथा रूढ़ियां, कुरीतियां, कुप्रथाओं का अन्धेरा छटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज विकसित होगा । शिक्षा के माध्यम से महिलायें समाज में सशक्त समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षित महिलायें न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढ़ियां भी लाभान्वित होती है।

शिक्षा सम्पूर्ण अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है। भारत में महिला एवं पुरुष की शिक्षा में विभेदीकरण पाया जाता है। लड़की को पराया धन की संज्ञा देकर उसके सभी अधिकारों का हनन हो जाता है क्योंकि संकीर्ण विचारधारा एवं सीमित ज्ञान के कारण स्वयं महिलायें भी ऐसा दषष्टिकोण रखती हैं और लड़कियों के साथ हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है।

भारत में महिला साक्षरता

क्रं0सं0	वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत)
1	1951	8.9
2	1961	15.4ष
3	1971	22.0
4	1981	29.8
5	1991	39.3
6	2001	53.7

इस प्रकार महिलायें अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं ।

महिलाओं के लिए अनेक कानून बने हैं लेकिन उन पर हिंसा और अत्याचार के आंकड़ों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की 70 फीसदी महिलायें किसी न किसी रूप में कभी न कभी हिंसा का शिकार होती हैं। इनमें कामकाजी महिलायें व गष्हणियां भी शामिल हैं। देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लगभग 1.5 लाख मामले सालाना दर्ज किये जाते हैं। विवाहित महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसा के मामले में बिहार सबसे आगे है, जहाँ 59 प्रतिशत महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हुई, उनमें 63 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की थी। दूसरे नम्बर पर राजस्थान 46.3 प्रतिशत एवं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 45.8 प्रतिशत है।

भारत में लिंगानुपात :

भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात को देखा जाए तो सदैव 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे कम ही रही है। वर्ष 1951 से लिंगानुपात पर दर्षष्टि डालें तो इसमें ऊतार–चढ़ाव आते रहे हैं परन्तु कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिए जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है –

क्रं0सं0	वर्ष	लिंगानुपात
1	1951	946
2	1961	941
3	1971	930
4	1981	934
5	1991	927
6	2001	933
7	2011	940

महिला शिक्षा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य है। स्वस्थ महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। महिलायें अनेक बीमारियों से ग्रसित होती हैं। जैसे कुपोषण, अल्प रक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी आदि। भूमण्डलीकरण के दौर में स्त्री–पुरुष की समानता की दुहाई देने वाले हमारे समाज में बीमार होने पर महिलाओं को गम्भीर स्थिति में ही अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी देश में प्रसवपूर्व सेवायें शोचनीय दशा में हैं। केवल 53.8 प्रतिशत को टिटनेस टाक्साइड के टीके मिल पाते हैं, 40 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का रक्त चाप लिया जाता है। अभी भी 2/3 प्रसव घर पर ही हो रहे हैं। केवल 43 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की सेवायें प्राप्त हैं। शिशु जन्म के उपरान्त भी महिलाओं को बहुत कम और कन्या शिशु के मामले में कोई देखभाल उपलब्ध नहीं होती ।

रोजगार के क्षेत्र में भी महिलायें अभी तक पिछड़ी हुई हैं लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक होने के साथ रोजगार के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अलग–अलग है और कुछ सेवाओं के लिए केन्द्र की सेवाओं में भी आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं। निजी सेवाओं में जिनमें होटल इण्डस्ट्री, एयर होस्टेस, रिसेप्सनिट जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का वर्चस्व बना हुआ है। दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा में मात्र तीन प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 30 प्रतिशत महिलायें सॉफ्टवेयर इण्डस्ट्री में एवं 10 प्रतिशत महिलायें सीनियर मैनेजमेंट में कार्यरत हैं। भारत में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ऊँचे पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षो बाद भी हमारी कामकाजी जनसंख्या में से 70 प्रतिशत महिलायें अकुशल कार्यो में लगी हैं तथा उसी हिसाब से मजदूरी प्राप्त कर रही हैं। दूसरी ओर देखते हैं तो पता चलता हैं कि महिलाओं के कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी गणना ही नहीं होती जैसे – चूल्हा – चैका, बर्तन, खाना, सफाई, बच्चों का पालन पोषण आदि। महिलायें एक दिन में पुरुषों की तुलना में छः घण्टे अधिक कार्य करती हैं। आज विश्व में काम के घण्टों में 60 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान महिलायें करती हैं जबकि वे केवल एक प्रतिशत सम्पत्ति की मालिक हैं।

लोकसभा में महिलायें

भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव 1952 में हुए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा कुल सदस्य संख्या 552 से अधिक नहीं होती । वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा में प्रथम निर्वाचन से आज तक के निर्वाचनों में महिला सांसदों के निर्वाचन की स्थिति निम्नानुसार रही –

वर्ष	कुल सदस्य संख्या	महिला सदस्य संख्या	महिला सदस्यों का प्रतिशत
1952	499	22	4.4
1957	500	27	5.4
1962	503	34	6.8
1967	523	31	5.9
1971	521	22	4.2
1977	544	19	3.3
1980	544	38	5.2
1984	544	44	8.1
1989	517	27	5.2
1991	544	39	7.2
1996	543	39	7.2
1998	543	43	7.9
1999	545	49	8.65
2004	539	44	8.16
2009	545	60	11.0
2014	545	66	12.6

भारत में लोकसभा निर्वाचन में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो इसकी स्थिति अत्यन्त कमजोर रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् निर्वाचन की शुरूआत 1952 से लेकर लोकसभा चुनाव 2014 तक की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2014 में सर्वाधिक 66 रही अर्थात् 12. 6 प्रतिशत महिलायें निर्वाचित हुई जो कि न्याय संगत नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। महिलाओं के प्रति राजनीतिक दलों में न तो इच्छाशक्ति है और न ही वे पुरुष प्रधान की भूमिका को कम होने देना चाहते हैं। कई राजनीतिक दल तो इस कदर भयभीत हैं कि महिलाओं को टिकट देने से वे निर्वाचित होंगी और वे निर्वाचित होंगी तो पुरुषों का राजनीति से सफाया ही हो जायेगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों में महिलायें निर्वाचित होती है वहाँ वे पुरुषों के मुकाबले अधिक कुशलता से अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन में, भारत में महिलाओं की दशा को विविध पहलुओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अभी तक महिलाओं की दशा बहुत सन्तोषजनक नहीं है परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं और ये संकेत मिलने शुरू हो गये हैं कि चाहे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या अन्य शिक्षा हो सभी जगह महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाऐं हो महिलायें कहीं भी पीछे नहीं हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो हमें स्पष्ट संकेत मिले हैं कि स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने महिलाओं की प्रतिनिधि सहभागिता में निश्चित रूप से सकारात्मक वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें अभी कुछ समस्यायें एवं चुनौतियां अवश्य है। आज महिलायें घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को पार कर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में कार्यरत हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आ रही है। महिलायें अब केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हैं अपितु उनके प्रति समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने प्रारम्भ हो गए हैं। सरकारी सेवा या राजनीति में सक्रिय महिलाओं को समाज में स्थान एवं सम्मान मिल रहा है। डाक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर महिलायें आ रही हैं। राजनीति में भी महिलायें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हैं। खेलों, फिल्मों, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन आदि में भी महिलाओं ने अपने आपको स्थापित किया है।

महिलाओं को समानता या बराबरी का दर्जा दिलाने की बातें करके या केवल लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दष्ढ़ इच्छाशक्ति का होना और इस दिशा में कार्य करना परमावश्यक है। अब समय आ गया है कि योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाये। महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण होगा जब महिलायें स्वयं अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे कानून बनाये जायें जिससे महिलाओं को वास्तविक रूप से लाभ मिल सके। समाज में महिलाओं को अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये स्वयं ही आगे आना होगा । जब तक अपने अधिकारों के प्रति महिलायें जागरूक नहीं होगी तब तक देश का कोई भी कानून उन्हें सशक्त नहीं कर सकता।

सन्दर्भ ग्रंथ

1– अग्रवाल चन्द्रमोहन, *भारतीय नारी : विविध आयाम*, पृ0सं0 **40**, अल्मोड़ा पब्लिकेशन, अल्मोड़ा ।

2– अग्रवाल, प्रेम नारायण, *महिला सशक्तिकरण,* अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ0सं0 **25–28 ।**

3– शर्मा, गजानन, *प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी*, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ0सं0 **42–43 ।**

4– कस्तावर रेशा, *स्त्री चिन्तन की चुनौतियाँ,* राजकमल प्रकाशन, 2006, पृ0सं0 **65 ।**